

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 53 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी - इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-14, गुरुग्राम एवं शाखा कार्यालय अजमेर।

— प्रार्थी

बनाम 1. मनीषा निगम पत्नि प्रशान्त कुमार निवासी सदर बाजार गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा
2. प्रशान्त कुमार पुत्र महेश प्रसाद निगम निवासी सदर बाजार, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी - श्री यादवेन्द्र सिंह।



निर्णय

दिनांक : 23.05.2023

प्राधिकृत अधिकारी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-14, गुरुग्राम एवं शाखा कार्यालय अजमेर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 4,72,000/- रुपये का ऋण दिनांक 27.06.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - श्रीमती मनीषा निगम पत्नि प्रशान्त कुमार की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो प्लॉट नं. ए-12, खसरा नं. 126/1, मोती नगर कॉलोनी, गुलाबपुरा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा पर स्थित है, जिसकी माप लगभग 55.55 वर्ग गज है, जिसकी सीमाएं पूर्व-प्लॉट नं. 37, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-उक्त भूखण्ड का शेष भाग, दक्षिण-प्लॉट नं. 13 है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 23.09.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,80,843.68/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 05.09.2022 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।